रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02092025-265899
CG-MH-E-02092025-265899

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 599]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947
No. 599]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 1 सितम्बर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/256.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक)संरक्षण और शिक्षण निधि] (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक)संरक्षण और शिक्षण निधि] विनियम, 2009 में, –

I. विनियम 4 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ठ) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(ठक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)] विनियम, 2021 के विनियम 38ख के उप-विनियम (3) के खंड (ग) के अनुसार अंतरित (ट्रांसफर) की गई रकम;"

II. विनियम 5 में, उप-विनियम (3) में,

i. खंड (ii) में, शब्दों, चिह्नों, अंक तथा अक्षरों "उप-विनियम (1) के खंड (ञ), (ट)" के बाद और शब्दों "के अनुसार निधि" से पहले दिए हुए शब्द, चिह्नों तथा अक्षर "एवं (ठ)" के स्थान पर चिह्न, अक्षर तथा शब्द ", (ठ) एवं (ठक)" आ जाएंगे ।

ii. परंतुक में, खंड (ii) में, शब्दों, चिह्नों, अंक तथा अक्षरों "उप-विनियम (1) के खंड (ञ), (ट)" के बाद और शब्दों "के अनुसार निधि" से पहले दिए हुए शब्द, चिह्नों तथा अक्षर "एवं (ठ)" के स्थान पर चिह्न, अक्षर तथा शब्द ", (ठ) एवं (ठक)" आ जाएंगे ।

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./332/2025-26]

<u>पाद टिप्पण</u> :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/05/163525, द्वारा 19 मई, 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] विनियम, 2009, तत्पश्चात्:

क) 9 जनवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/38/49, द्वारा

ख) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा

ग) 28 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/126, द्वारा

घ) 20 अक्तूबर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/157, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st September, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INVESTOR PROTECTION AND EDUCATION FUND) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/256.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) (Amendment) Regulations, 2025.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009 –

I. in regulation 4, in sub-regulation (1), after clause (l), the following clause shall be inserted, namely, -

"(la) monies transferred in accordance with clause (c) of sub-regulation (3) of regulation 38B of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021;"

II. in regulation 5, in sub-regulation (3),

i. in clause ii, the words and symbol "and (l)" appearing after the words and symbol "clauses (j), (k)" and before the words "of sub regulation (1)" shall be substituted with the words and symbol ",(l) and (la)".

ii. in the proviso, in clause ii, the words and symbol "and (l)" appearing after the words and symbol "clauses (j), (k)" and before the words "of sub regulation (1)" shall be substituted with the words and symbol ",(l) and (la)".

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./332/2025-26]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India on 19th May 2009 vide notification no. LAD-NRO/GN/2009-10/05/163525.

2. The Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009, were subsequently amended on:

   a) January 9, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) (Amendment) Regulations, 2014 vide notification No. LAD/NRO/GN/2013-14/38/49.

   b) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037.

   c) February 28, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/126.

   d) October 20, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/157.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA